तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख म जारी हुए
	अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनने एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का आद्योपान्त अवलोकन करने के उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि चूंकि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 1 वाद वर्णित आराजी के रेकार्डेड खातेदार है अतः अप्रार्थी सं0 1 को आगामी पेशी तक इस आशय की अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं0 1 की संयुक्त खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि जमाबन्दी खतोनी सं0 244 पुराना 225 आराजी ख0सं0 1423 रकबा 1.2221 हैक्टे0, ख0सं0 493 रकबा 0.3804 हैक्टे0, ख0सं0 649 रकबा 0.2023 हैक्टे0, ख0सं0 650 रकबा 0.1781 हैक्टे0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.9829 हैक्टे0 वाके ग्राम देलून्दा पटवार हल्का देलून्दा एवं खाता सं0 243 पुराना 225 की कृषि भूमि ख0सं0 965 रकबा 5.3499 हैक्टे0 वाके ग्राम देलून्दा पटवार हल्का नौताडा तहसील तालेडा जिला बून्दी में अप्रार्थी सं0 1 के हिस्से तक रेकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे। प्रार्थी पक्ष सी0पी0सी0 के आदेश 39 के नियम 3 की पालना करना सुनिश्चित करे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 किया जावे। अप्रार्थीगण जर्ये हेतुक तलब होकर पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 29.02.2024 को पेश हो। [illegible]	
29/2/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप0। तलबी रिपोर्ट अप्राप्त। पत्रावली वास्ते इन्तजार तलबी रिपोर्ट दिनांक 3/4/24 को पेश हो। स्थगन आदेश अवधि आगामी पेशी तक बढ़ाई जाती है। [illegible]	
3/4/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप0। वकील प्रार्थी द्वारा प्रा0पत्र आगे नहीं चलाते हुए इसी स्तर पर विड्रो किये जाने हेतु Not Press किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रा0पत्र Not Press किये जाने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। [illegible]	Not press [illegible]